2022/128

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी :– गणपतराम पुत्र श्रीकिशन जाति जाट निवासी बाजियो की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– बिरदाराम पुत्र डुंगाराम जाति जाट निवासी बाजियां की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या. 156 सन्–.....2022..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
30.06.2022	प्रार्थी गणपतराम पुत्र श्रीकिशन जाति जाट निवासी बाजियो की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण बिरदाराम पुत्र डुंगाराम जाति जाट निवासी बाजियां की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला नागौर राजस्थान वगैराह का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक वाकै सरहद बाजियों की ढाणी के खसरा सं0 183/9 व वाके सरहद पावा के खसरा सं0 482, 483 में मौका व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 के नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 23.08.2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
23/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण के सम्मन तामील [illegible] प्राप्त नहीं हुए है। इन्तजार [illegible] वास्ते तलबी दिनांक [illegible]/22 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:07:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

17/10/22

वकील प्रार्थी उप०।
प्रतिवादीगण के समक्ष तलबाना पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते कि तलबी दिनांक 26/12/22 को पेश हो।

26/12/22

पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, नियत दिनांक 15/2/23 को पेश हो। अप्रार्थी क्र० 4, 5, 7, 8 की तरफ से वकील नियुक्त [illegible] U.T. दी है

U.T.
अप्रार्थीगण 4, 5, 7, 8 की ओर से
(श्रीराम) Adv.

3/2/23

वकील प्रार्थी के आवेदन पर पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी पक्ष व अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा वे उक्त प्रार्थना पत्र चलाना नहीं चाहते हैं। अतः जरिये विड्रोल प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

गणपत राम
(महेन्द्र खिलेरी) Adv.

वकील प्रार्थी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं। अतः जरिये विड्रोल प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.01.02 17:07:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner